COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10
COURT FEE INDIA रुपये TEN RUPEES Rs.10

(61)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर केम्प, उज्जैन, संभाग उज्जैन

रा.अ.कं. 2013–14 R-3594-II/14

परमान्द पिता श्री भीमाजी जाती नाई आयु 32 वर्ष
व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम निपान्या राजु
तहसींल महिदपुर जिला उज्जैन
................आवेदक / प्रतिप्रार्थी

विरूद्ध

गुमानसिंह पिता मानसिंह जाती राजपूत आयु45वर्ष
व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम निपान्या राजु
तहसींल महिदपुर जिला उज्जैन
............................अनावेदक / प्रार्थी

16-9-14.

30-10-14

<u>विषय :– न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील महिदपुर के द्वारा पुनरीक्षण (राजस्व) 06 अ 13 /2013–14 में पारित आदेश दिनांक 08.09.2014 के विरूद्ध पुनरीक्षण आवेदन पत्र अतंर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.स. 1959 ।</u>

माननीय महोदय,

आवेदक / प्रतिप्रार्थी की ओर से निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन पत्र प्रस्तुत हैं–

1. यहकि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1. यहकि आवेदक द्वारा धारा 131 के साथ –साथ 32 के तहत एक आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसकी स्वत्व व आधिपत्य की सर्वे न0 564 रकबा 2.05 हे0 स्थित ग्राम निपान्या राजु पर क्रषि सामंद लाने–ले जानें का परम्परागत वही–वाटी मार्ग ग्राम आबादी से दक्षिण में चलकर पूर्व दिशा में स्थित शा0 सड़क सर्वे क्र0 653 धनोड़ीया जानें वालें रास्तें से होते हुए उत्तर दिशा में मुढ़कर सर्वे क्र0 464, 465, व 532 के बीच से होतें हुए सर्वे क्र0 531 व 532 की मध्य मेंढ़ से होते हुए 564 पर पहुॅचता है। सर्वे क्र0 532 पर उक्त रास्ते को अनावेदक द्वारा हाककर अवरूद्ध कर दिया गया है, उक्त रास्तें को खुलवानें हेतु धारा 32 के तहत यह आवेदन पत्र सह दस्तावेंजों के साथ प्रस्तुत किया गया है ।

प्रकरण दर्ज अनावेदक को तलब किय है, उसने

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(61)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3594-दो/14 **जिला** - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। (3) **प्रशासकीय सदस्य**	